BIHAR HUMAN RIGHTS COMMISSION (BHRC)

9, Bailey Road, Patna

File No. BHRC/Comp. 2758/16

Case of Manti Devi, W/o Vinay Kumar Chaudhary, Bhagalpur: (Case of compensation for destruction of embankment, well and trees)

(वाद सं0–2758 / 16)

15.01.2019 आवेदिका अपने पति के साथ उपस्थित आयीं। जिला पदाधिकारी, भागलपुर का प्रतिवेदन इस आयोग को उपलब्ध करा दिया गया है, परन्तु वे न तो उपस्थित हैं, न उनकी ओर से उनका प्रतिनिधित्व करने वाला उपस्थित है।

आवेदिका एवं उनके पति के स्वामित्व का अलग–अलग खेसरा सरकार के उपयोग में ले लिया गया है। आवेदिका का कथन है कि उसके मौजा–गोराडीह, अंचल–गोराडीह, खाता सं.41 खेसरा 656, जिसका कुल रकबा 13 डिसमिल है, रास्ता (सड़क) के उपयोग में चला गया है। इनके पति विनय कुमार चौधरी उर्फ विजय कुमार चौधरी की भी इसी तरह की शिकायत है कि उनके ग्राम मौजा विध्यानंदी, ग्राम–सन्हौली, थाना–जगदीशपुर, जिला–भागलपुर में स्थित खाता संख्या 94 का खेसरा संख्या 112, रकबा 30 डिसमिल, खेसरा संख्या 263, रकबा 85 डिसमिल कुल रकबा 01 एकड़ 15 डिसमिल जमाबंदी संख्या 227, खाता 137, खेसरा संख्या 264, रकबा 36 डिसमिल, जमाबंदी संख्या 298 एवं खाता संख्या 47, खेसरा संख्या 281 / 7, रकबा 08 डिसमिल, जमाबंदी संख्या 322 कुल रकबा 01 एकड़ 59 डिसमिल में बांध, ढाड़, नदी के उपयोग में ले लिया गया। इसमें खेसरा संख्या 263 एवं 264 में अवस्थित एक कुँए को भर दिया गया एवं 06 आम का गाछ काट दिया गया। इसी तरह खेसरा संख्या 281 एवं 282 में 12 ताड़ का गाछ काट दिया गया।

आवेदिका द्वारा मौजा–गोराडीह में स्थित अपने खाता संख्या 41 खेसरा 656 के अंश 13 डिसमिल का कीमत 25 लाख रूपये कहा गया है। इसी प्रकार आवेदक विनय कुमार चौधरी द्वारा मौजा विध्यानंदी, ग्राम–सन्हौली के खेसरा संख्या 112, 263, 264 एवं 281 / 07 कुल रकबा 01 एकड़ 59 डिसमिल की कीमत 15 लाख कही गयी है। इसमें भरे गये कुँआ, 06 पेड़ आम एवं 12 पेड़ ताड़ की कीमत 05 लाख रूपया कहा गया है। इस प्रकार उनके द्वारा अपना नुकसान 20 लाख रूपये का बताया गया है। जिला पदाधिकारी, भागलपुर से जो प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, उसमें आवेदक के खेसराओं के अधिग्रहण की बात नहीं की गयी है, जिसमें तटबंध के निर्माण की बात को स्वीकार किया गया है, परन्तु इनकी पत्नी मानती देवी के खेसरा में सड़क निर्माण के विषय में कुछ भी नहीं कहा गया है।

मानवाधिकार की परिभाषा ही मानवाधिकार का मूल है, जो किसी भी व्यक्ति के अपने प्राण, स्वतंत्रता, समानता एवं गरिमा से सबंधित वैसे अधिकार है जो संविधान द्वारा प्रतिभूत है या अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं में सन्निविष्ट हैं और भारतीय न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। इसे संविधान द्वारा प्रतिभूत माना जायेगा। मानव के प्राण / जीवन का सीधा संबंध उसके जीविकोपार्जन से है, जिसका मुख्य साधन खेतों का उपज है। इसलिए आवेदिका एवं उसके पति के खेसराओं से होकर सड़क या बांध का निर्माण उसके प्राण से संबंधित अधिकार माना जायेगा।

आवेदक या आवेदिका द्वारा सड़क या बांध के निर्माण या कुँए या पेड़ों की क्षति के बारे में जो नुकसान कहा गया है, उसे गलत नहीं कहा गया है। कतिपय यह आना कि बांध के निर्माण की आवश्यकता नहीं रह गयी है, आवेदकगण के अधिकारों को किसी तरह से न्यून नहीं करती है। इसलिए यह आयोग आवेदिका के मौजा–गोराडीह, खाता संख्या 41, खेसरा संख्या 656 के 15 डिसमिल के क्षतिपूर्ति के रूप में 25 लाख रूपया और आवेदक विनय कुमार चौधरी उर्फ विजय कुमार चौधरी के मौजा विध्यानंदी, ग्राम–सन्हौली, थाना–जगदीशपुर, जिला–भागलपुर के खेसरा संख्या 112, 263, 264, 281 / 07 कुल रकबा 01 एकड़ 59 डिसमिल के क्षतिपूर्ति के लिए 15 लाख रूपये तथा उसमें अवस्थित कुँआ एवं पेड़ों के क्षतिपूर्ति के रूप में 05 लाख रूपये कुल 20 लाख रूपये की अनुशंसा की जाती है, जो आवेदिका मानती देवी एवं उनके पति विनय कुमार चौधरी उर्फ विजय कुमार चौधरी को आदेश की प्रति प्राप्त करने के दो माह के अंदर भुगतान कर दिया जायेगा। इसकी प्रति प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना, जिला पदाधिकारी, भागलपुर एवं आवेदक को भी दे दी जाय।

सहायक निबंधक

(न्यायमूर्ति मान्धाता सिंह)
सदस्य।